न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 99/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक१४ अक्टूबर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनिरलर्स रिसोर्सेस लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 08.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम घुराशिया तहसील आगर बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 194 रकबा 40.080 में से रकबा 23.00 हेक्टेयर भूमि की मांग बंधा कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है ।

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी । नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में एच आर पंजी जावक क्रमांक 178 दिनांक 15.02.2024 को विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। जावक पंजी क्रमांक 121-127 कानड दिनांक 15.02.2024 से कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन, अधीक्षण यंत्री संचा / संधा) म०प्र०प०क्ष०वि०वि० कं० लिमि० आगर वृत्त ,कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० (भ/प) संभाग आगर मालवा, नगर परिषद कानड , वन परिक्षेत्र अधिकारी आगर मालवा वनमण्डल एवं ग्राम पंचायत घुराशिया को अभिमत हेतु पत्र लिखा गया । संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन के पत्र दिनांक 01.07.2024 , अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. उपसंभाग आगर मालवा के पत्र दिनांक 23/02/2024 , वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आगर मालवा के पत्र दिनांक 20/04/2024 तथा नगर परिषद कानड के पत्र दिनांक 30/04/2024 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया । कार्यपालन यंत्री अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) वृत्त आगर के पत्र दिनांक 23/02/2024 से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया । ग्राम पंचायत के द्वारा नियत समयावधि में अभिमत प्रस्तुत नहीं किया अत: उससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में पटवारी ग्राम घुराशिया तहसील आगर जिला आगर मालवा के द्वारा (प्रारूप -5) में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम घुराशिया में शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 194 रकबा 40.08 हे चरोखर मद में दर्ज है। मौके पर उक्त आवेदित भूमि उबड खाबड है। जिस पर मवेशी चरते है। वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षा रोपण हेतु उक्त भूमि आवंटित की जा सकती है। जिसमे ग्राम वासियों को आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित भूमि के आवंटन उपरांत ग्राम की खाते की भूमि का 2 प्रतिशत चरनोई (12.37 हे.) सुरक्षित बचता है। कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम घुराशिया की सिचित भूमि 13,00,000/- तेरह लाख रूपये प्रति हेक्टेयर के मान से है। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे क्रमांक 194 रकबा 40.08 मेसे 23.00 हेक्टेयर भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019 / सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिचिंत कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 4,78,40,000/- (चार करोड अठहतर लाख चालीस हजार रूपये) होता है। नायब तहसीलदार कानड द्वारा पटवारी प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम घुराशिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 194 रकबा 40.08 में से 23.00 हेक्टेयर भूमि आवेदक **EMIL Mines and Mineral Resources Limited** के आवेदन के परिप्रेक्ष में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु अनुशंसा सहित उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया । उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार कानड के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । जिसमें ग्राम घुराशिया तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 194 रकबा 40.08 में से 23.00 हेक्टेयर, भूमि को बंधा कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम घुराशिया तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 194 रकबा 40.08 में से 23.00 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनिरलर्स रिसोर्सेस लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम घुराशिया तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 194 रकबा 40.08 में से 23.00 हे० पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर के मान से निर्धारण 4,78,40,000/- (चार करोड अठहतर लाख चालीस हजार) राशि जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

5/ नायब तहसीलदार कानड , की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवावें। R-ling 18/10/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

कलेक्टर जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/रीडर/2024/ 369 आगर मालवा, दिनांक 18 /10/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनिरलर्स रिर्सोसेस लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार कानड, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें। R-ling 18/10/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र

कलेक्टर जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:घुराशिया			पटवारी हल्का:घुराशिया			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1602380889 81JJSYD92UP5H0	194/1 (S)		23.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0099/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

			रु.0.00							

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2024-25	दिनांक: 04-03-2025 15:18:02

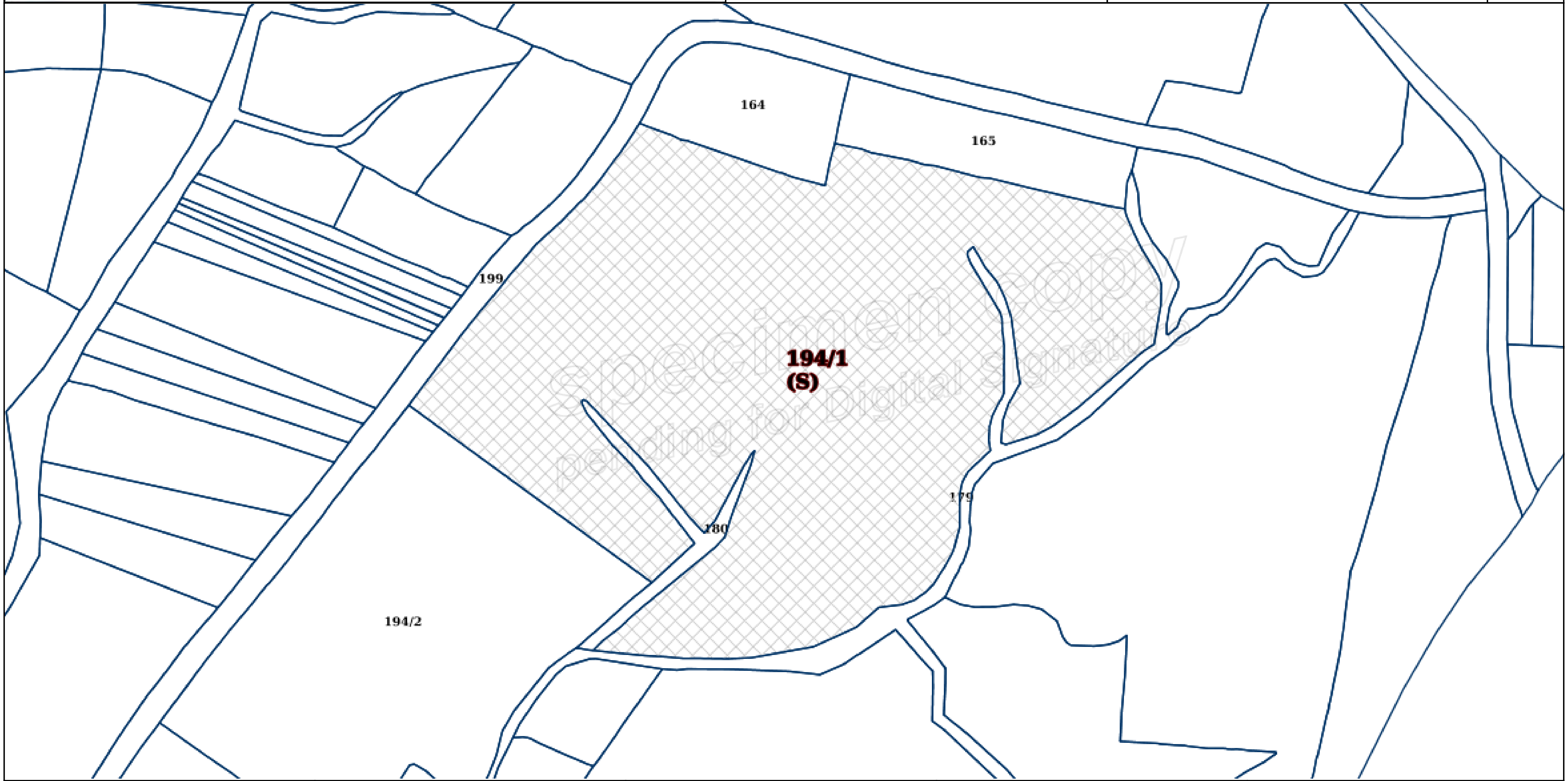

specimen copy
pending for Digital Signature

ब्लॉक सं.:	ग्राम:घुराशिया	हल्का:घुराशिया	तहसील: आगर	जिला:आगर-मालवा

सर्वेक्षण सं.: 194/1(S)	क्षेत्रफल:23.0000(हेक्ट.)	भू.रा.शा:0

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

मापांक 1:4000

0 50 100 150 200m

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |